STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

सन्दर्भ में :

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह अभियोग बोर्ड ऑफ़ रिव्यु ("बोर्ड") के समक्ष अपील रेफरी द्वारा अपील डॉकेट संख्या ________ के तहत दिए गए निर्णय पर **(दावेदार) (नियोक्ता) की अपील** पर विचार करने के लिए आया है| रिकॉर्ड सबूतों की पूरी तरह से समीक्षा की गई है|

[कानूनी सहायक या टाइपिस्ट के लिए नोट: अतिरिक्त 3 दिन, निर्णायक द्वारा निर्धारण के लिए लागू नहीं होते हैं| अपील अधिकार मेलिंग की तारीख के 30 दिन बाद समाप्त हो जाते हैं]|

बेरोजगारी सुरक्षा कानून यह कहता है कि निर्णायक के निष्कर्ष को डिवीजन का अंतिम निर्णय समझा जाना चाहिए, यदि सूचना या निष्कर्ष मेल करने के तीस (30) दिनों भीतर, जो भी पहले हो, एक लिखित अपील दायर ना की जाए| N.C. Gen. Stat. § 96-15(b)(2)| निर्णायक द्वारा निर्धारण डॉकेट संख्या _____ को _________ तारीख को मेल किया गया था| निर्धारण पर अपील करने का अधिकार उसके तीस (30) दिनों के बाद ____________तारीख को समाप्त हो गया| N.C. Gen. Stat. § 96-15(b)(2)| जब किसी भी समय अवधि का अंतिम दिन शनिवार, रविवार या राज्य की वैध छुट्टी हो तो, इस समय अवधि को अगले कार्यालयीन दिन तक बढ़ा दिया जाता है| इस मामले में, (दावेदार) (नियोक्ता) की अपील समय अवधि _________ तारीख को समाप्त हो गई, जो एक (शनिवार, रविवार या राज्य की वैध छुट्टी थी) (शनिवार, रविवार या राज्य की वैध छुट्टी नहीं थी, इसलिए अवधि बढाई नहीं गई)| इस मामले में, निर्धारण के लिए अपील __________ को दायर की गई थी, निर्धारण पर अपील करने के अधिकार के _______ (______) दिनों के बाद|

(दावेदार) नियोक्ता) दावा कर रहा है कि अपील देर से दायर की गई थी क्योंकि ________________________ | इस मामले पर साक्ष्यों की सुनवाई के बाद, अपील रेफरी ने निष्कर्ष निकाला कि (दावेदार) (नियोक्ता) देर से अपील दर्ज करने का उचित कारण नहीं दिखा पाया।

बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए विवादास्पद दावों केमामले में अंतिम तथ्य-खोजक केरूप में, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि अपील की समयबद्धता केमुद्दे पर अपील किए जाने वाले तथ्य योग्य साक्ष्यों पर आधारित नहीं थे, और अपील रेफ़री द्वारा बनाए गए कानून केनिष्कर्ष को अपनाने से मना कर दिया| अपील रेफरी N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(26) में परिभाषित "उचित कारण" की परिभाषा को (दावेदार) (नियोक्ता) के समय से अपील दायर करने में विफलता पर लागू करने में विफल रहे| उचित कारण कानूनी तौर पर वह पर्याप्त कारण होता है, जो उचित तत्परता से कानून द्वारा आवश्यक कार्य करते समय किसी भी विफलता के कानूनी कारण के रूप में होता है| "उचित तत्परता" का अर्थ है विशेष परिस्थितियों के तहत, एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा अपेक्षित और प्रयोग किया जानेवाले सतर्क्ता, एहतियात, सावधानी और अचछे निणरय के उपाय| 04 N.C. एडमिन कोड 24A .0105(21).

इस मामले में, अपील रेफरी रोजगार सुरक्षा कानून (N.C. Gen.Stat. §96-1 et seq.) को पाए गए तथयों पर ठीक से और सही तरीके से लागू करने में असफल रहे और परिणामसवरूप जो निणरय था वह कानून और तथयों के अनुसार नहीं था। अपील रेफरी ने (दावेदार) (नियोकता) को देर से अपील करने के उचित कारण दिखाने की अनुमति देनी चाहिए थी| (दावेदार) (नियोकता) ने देर से अपील के लिए एक कानूनी वजह को कारण बताया है, और (दावेदार) (नियोकता) ने दिखाया है कि उसने इस महतवपूणर मामले पर उचित सावधानी से काम किया है|

पूर्ववर्ती के आधार पर, अपील की समयबद्धता के मामले पर अपील रेफरी का निर्णय **वापस** कर दिया गया है|

अपील रेफरी को कारण को **रिमांड** किया जाना चाहिए ताकि अपील का निर्णय अलग रख दिया जाए और नए तथ्यों की खोज और कानूनों के निष्कर्षों से नया निर्णय जारी किया जा सके| कोई भी फैसला देने के लिए पक्षों से और किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है| तथ्यों केनए निष्कर्ष इस मामले में किए गए हर सुनवाई में रिमांड केप्रक्रियात्मक इतिहास, रिमांड ऑर्डर की आवश्यकताओं का सारांश, और पक्षों और गवाहों को बताएगा। अतिरिक्त निष्कर्षों को बनाया जाना चाहिए, और यह नए फैसले से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अपील रेफ़री ने साक्ष्यों को सुना और माना और बोर्ड केरिमांड ऑर्डर का पालन किया।

यह आदेश दिया जाता है कि रिकॉर्ड में निहित सभी दस्तावेजों को इस फैसले केसाथ अपील रेफरी को भेज दिया जाना चाहिए, अपील और किसी भी नाम या पद के अन्य सभी पत्राचार या दस्तावेजों सहित, अपील रेफ़री द्वारा रिमांड पर रिकॉर्ड में चिह्नित किये जाने और लिखे जाने चाहिए, ताकि रिकॉर्ड को कानून के अनुसार पूरा किया जा सके| |

आगे यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले में निर्णय अपील विभाग द्वारा रिमांड किए गए रिकॉर्ड के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर मेल कर दिया जाना चाहिए, जब तक की चीफ अपील रेफरी द्वारा कोई एकसटेंशन ना परदान किया गया हो और रिकॉडर का हिससा ना बना हो|

बोडर ऑफ़ रिवयु के सदसय Susan Doe और John Doe इस अपील में सहभागी हुए और इस निणरय से सहमत हैं|

बोडर् ऑफ़ रव्य

____

महत्त्वपूणर् - नम्न ल खत पृष्ठ देख

चेयरमैन

<u>दावेदारों के लिए विशेष सूचना</u>: यदि आप अंतनिरहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ परापत कर रहे हैं या पहले परापत कर चुके हैं और इस उचच पराधिकरण निणरय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को परापत करने के लिए अपातर या अयोगय घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है| यदि यह अधिक भुगतान इस उचच

पराधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समगरता/ लाभ भुगतान नियंतरण विभाग से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिकत भुगतान का निधाररण भेज दिया जाएगा| यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिकत भुगतान के निधाररण, अनय बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की राशि और कोई अनय लागू जुमारने को निदिर्ष्ट करेगा| कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से परतिवाद करने का एकमातर तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर नयायालय में इस उचच पराधिकरण निणरय की नयायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना| आपकी याचिका में, आपको यह निदिरषट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपातरता या योगयता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निधाररण के लिए, जो आपको अतिरिकत भुगतान के लिए मिला है|

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख